भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3522

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान

3522. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक नया परिपत्र जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन ने संकटग्रस्त ऋणों विशेषकर बिजली क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए अंतर-लेनदार समझौता मसौदा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरुद्धार में मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दबावग्रस्त आस्ति समाधान - संशोधित संरचना के संबंध में दिनांक 12.02.2018 को एक परिपत्र जारी किया था। आरबीआई ने यह सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने आदेश के द्वारा उक्त परिपत्र को अमान्य करार दिया, इसके कारण दबावग्रस्त आस्तियों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संशोधित परिपत्र जारी करना आवश्यक हो गया। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि इस पृष्ठभूमि में आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों के पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाधान के लिए दिनांक 07.06.2019 को "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की विवेकपूर्ण संरचना" को जारी किया है, जिसमें समाधान योजना के कार्यान्वयन अथवा दिवालियापन कार्यवाही को आरंभ करने में विलंब के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के रूप में दंडात्मक कार्यवाही के लिए उपबंध करके तथा सभी उधारदाताओं द्वारा बहुमत से निर्णय लेने के लिए अंतर-ऋणदाता समझौते पर हस्ताक्षर करने को अनिवार्य बनाकर उधारदाताओं को समाधान योजना तैयार करने तथा इसे लागू करने का पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है।

(ख) से (घ): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से प्राप्तसूचना के अनुसार, आरबीआई ने अपने दिनांक 07.06.2019 के परिपत्र के माध्यम से जारी विवेकपूर्ण संरचना में किसी विशेष दबावग्रस्तखाते के संबंध में समाधान प्रस्तावतैयार करने से पूर्वअंतर-ऋणदाता समझौते पर हस्ताक्षरकरना अनिवार्य कर दिया है और इस संबंध में आईबीए ने एक अंतर-ऋणदाता समझौता तैयार किया है एवं समाधान प्रक्रियाको सुकर बनाने के लिए इसे अपने सदस्य बैंकों में परिचालित किया है। आईबीए ने यह भी सूचित किया है कि यह प्रारूप समझौता विद्युत क्षेत्रसहित किसी विशेष क्षेत्रके संबंध में नहीं है।

(ङ.): अवरूद्ध परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक परियोजना निगरानी समूह का गठन किया गया है और यह अनुमोदन शीघ्र प्राप्तकरने (फास्ट ट्रैकिंग) सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्रके रूप में कार्यकर रहा है। दिनांक 01.01.2019 तक 725 परियोजनाओं, जिनमें 29.88 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है, के संबंध में पीएमजी पोर्टल पर उठाए गए 3,191 से अधिक मामलों का समाधान किया गया है और संबंधित मामलों के समाधान/अनुमोदन हेतु 513 अंतर-मंत्रालयीयबैठकें तथा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ 247 बैठकें की गई हैं। इसके अलावा, जहाजरानी, वस्त्र, विद्युत, दूरसंचार, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एमएसएमई क्षेत्रकी प्रणालीगत समस्याओं की जांच करने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयोंद्वारा अंतर-मंत्रालयीयसमूह का गठन किया गया था, जिनके कारण उक्त क्षेत्रकी अर्थक्षमतातथा पुनर्भुगतानक्षमताप्रभावितहो रही है।

*****